रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102022-239322
CG-DL-E-03102022-239322

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944
No. 242] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

[मामला सं. एडी (एसएसआर)-11/2022]

विषय- चीन जन.गण. मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फिशिंग नेट" के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच।

फा. सं. 7/22/2022-डीजीटीआर.—इंडियन फिशनेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिसे आगे "आवेदक" या "आवेदक एसोसिएशन" या ''याचिकाकर्ता'' भी कहा गया है) ने समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे ''प्राधिकारी'' भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें बंगलादेश और चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फिशिंग नेट (जिसे आगे ''संबद्ध वस्तु'' या ''विचाराधीन उत्पाद'' या ''पीयूसी'' भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन जन.गण. और बांग्लादेश से उत्पन्न या निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है और उसने इसे जारी रखने का अनुरोध किया है। इन देशों में मूलत: अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लगाया गया पाटनरोधी शुल्क।

3. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क यदि पहले न हटाया जाए, तो उसे लगाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के बाद निष्प्रभावी हो जाता है और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अनुसार, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

4. बांग्लादेश के संबंध में, प्राधिकारी ने नोट किया है कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और जांच की अवधि में भारत को संबद्ध वस्तुओं का न तो कोई निर्यात हुआ है और न ही आवेदक ने कोई प्रथम दृष्टया प्रस्तुत किया है। घटना शुल्क में बांग्लादेश द्वारा पाटन का सहारा लेने की संभावना के साक्ष्य को बांग्लादेश से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर समाप्त होने की अनुमति है। इसलिए, इस जांच का विषय देश केवल चीन जन.गण. है।

क. पृष्ठभूमि

5. बंगलादेश और चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जांच प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना सं. 14/44/2016-डीजीएडी 31 मार्च, 2017 के माध्यम से शुरु की गई थी अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना सं. 14/44/2016-डीजीएडी दिनांक 5 मार्च, 2018 के माध्यम से जारी की गई थी जिसमें निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। उक्त अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं. 20/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 10 अप्रैल, 2018 के माध्यम से बंगलादेश और चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। मौजूदा पाटनरोधी शुल्क 10 अप्रैल, 2023 को समाप्त होने वाला है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

6. आवेदन में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "फिशिंग नेट" है। चूंकि, वर्तमान आवेदन निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत के लिए है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद पहले हुई जांच में यथा-परिभाषित के समान रहेगा। इसके अलावा, आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे में किसी संशोधन के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है। अत: स्थापित न्याय-शास्त्र और प्राधिकारी की पूर्व परिपाटी के अनुसार विचाराधीन उत्पाद मूल अधिसूचना में यथा-परिभाषित के समान रहेगा।

> **"7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "फिशनेट" अथवा "फिशिंग नेट" है।**
>
> 8. *"फिशिंग नेट" ऐसे उपकरण होते हैं, जो कि नेट ग्रिड जैसे ढांचे में बुने हुए फाईबर से बनाए जाते हैं। फिशिंग नेट सामान्यतया अपेक्षाकृत पतले धागे से गुंथे हुए जाले होते हैं। नायलोन की तकनीकी विशेषताओं के कारण नायलोन फिशनेट, विश्वभर में कुल फिशनेट की खपत का 65-70% से अधिक भाग बनता है। वर्तमान याचिका में केवल नायलोन फिशिंग नेट शामिल हैं, – चाहे वो 100 % हो अथवा ब्लेंडिड । ब्लेंडिड के मामले में इसके सीमा क्षेत्र में भारांश द्वारा 50% अथवा उससे अधिक नायलोन होता है।*
>
> 9. *उत्पाद का कोई विशिष्ट निर्धारित सीमा-शुल्क वर्गीकरण नहीं है। डीजीसीआईएंडएस द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए आंकडों के अनुसार इस उत्पाद का आयात एचएस कोड 560811.10 के अंतर्गत किया जाता है। तथापि, सीमा-शुल्क का यह वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और यह किसी भी तरीके से उत्पाद के कार्य-क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।*
>
> 10. *विचाराधीन उत्पाद को आगे मोनोफिलेमेंट यार्न नेट और मल्टीफिलेमेंट यार्न नेट में वर्गीकृत किया जा सकता है। मोनोफिलेमेंट नेट का उत्पादन मोनोफिलेमेंट यार्न का उपयोग करके किया जा सकता है और मल्टीफिलेमेंट नेट के मामले में मल्टीफिलेमेंट यार्न का उपयोग किया जाता है तथा यार्न को पहले ट्विस्ट किया जाता है। उसके बाद हालांकि उत्पादन की प्रक्रिया समान है और उसमें बेफ्ट और वार्प नोटिंग के साथ नेटिंग,*

हीट स्ट्रेचिंग, डाईंग, एजिंग सामान्यकरण, जांच और पैकिंग शामिल होती है, फिर भी फिशिंग में मोनोफिलेमेंट नेट और मल्टीफिलेमेंट नेट का उपयोग बिल्कुल भिन्न होता है। तथापि, नेट की उपयोगी कार्य अवधि अधिकतम 6 महीनों तक की होती है और एक बार विक्षत हो जाने के बाद नेट की मरम्मत नहीं की जा सकती है। इसके विपरीत मल्टीफिलेमेंट नेट का उपयोग समुद्री तट पर/गहरे समुद्र में बडी मछली को पकडने के लिए किया जाता है। मल्टीफिलेमेंट नेटों की उपयोगी कार्य अवधि 2 से 2.5 वर्षों तक की होती है और इनके विक्षत हो जाने पर इनकी मरम्मत की जा सकती है।

11. *एचडीपीई फिशिंग नेटों और कृषि नेटों के सबंध में यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच, नायलोन फिशिंग नेट – चाहें वे 100% अथवा मिश्रित हैं, जिनमें भार से 50% अथवा उससे अधिक नायलोन शामिल हैं, के पाटन के बारे में है। सभी अन्य प्रकार के फिशिंग नेट अथवा अन्य नेट वर्तमान जांच के कार्य-क्षेत्र से बाहर हैं।*

7. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 56 के अन्तर्गत उपशीर्ष 56081110 के अधीन वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।

ग. समान वस्तु

8. प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में समान वस्तु के मुद्दे की जांच की गई है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई खास अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिक, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत समान वस्तु मानी जानी चाहिए। अत:, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही पीयूसी के 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

9. यह आवेदन आवेदक एसोसिएशन के सदस्यों की ओर से घरेलू उत्पादकों की एसोसिएशन इंडियन फिशनेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएफएमए) द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसके सदस्यों ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, वे संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं।

10. आवेदक ने अनुरोध किया है कि वह एमएसएमई क्षेत्र में आने वाले फिशिंग नेट की एक एसोसिएशन है जिसमें भारत में लगभग 110 विनिर्माता हैं। यह उद्योग काफी बिखरा हुआ है और इसमें अनेक घरेलू उत्पादक शामिल हैं। अत:, आवेदक एसोसिएशन ने व्यापार सूचना 09/2021 दिनांक 29 जुलाई, 2021 के अनुपालन में अपने सभी सदस्यों की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें बताया गया है कि यदि घरेलू उद्योग बिखरा हुआ हो तो घरेलू उद्योग की ओर से किसी एसोसिएशन द्वारा आवेदन दायर किया जा सकता है, बशर्ते कि एसोसिएशन के सदस्यों का कुल उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक हो। आवेदक एसोसिएशन के सदस्यों का उत्पादन सीमा शुल्क टैरिफ नियमावली के नियम 5(3)(क) के अनुसार समान वस्तु के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बनता है और आवेदक एसोसिएशन व्यापार सूचना 09/2021 के अनुबंध-II के अन्तर्गत विहित पूर्व-अपेक्षाओं को पूरा करती है। वर्तमान आवेदन में संगत आंकड़े देने वाले आवेदक उत्पादक भारत में कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक हैं।

11. उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि आवेदन नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) तथा व्यापार सूचना 09/2021 दिनांक 29 जुलाई, 2021 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार "घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से" किया गया है।

ड. संबद्ध देश

12. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन.गण. हैं।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

13. आवेदक ने चीन के एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख और उस पर भरोसा किया है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन के उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए कहा जाए कि समान उत्पाद के उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं। आवेदक ने यह बताया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि लागत और कीमत सूचना बाजार चालित है तो सामान्य मूल्य को अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए। आवेदक ने चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु थाइलैंड को उचित तीसरे देश के रूप में अभिज्ञात किया है और आवश्यक समायोजन करने के बाद बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत निर्धारित करने के लिए भारत को थाइलैंड से निर्यातों की कीमत पर भरोसा किया है। इसके अलावा, कारखानाद्वार सामान्य मूल्य ज्ञात करने के लिए यथा-लागू समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय भाड़ा के लिए समायोजन किए गए हैं।

चीन जन.गण. के लिए निर्यात कीमत

14. आवेदक ने बाजार आसूचना में सूचित सीआईएफ कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध वस्तु के निर्यात मूल्य की गणना की है। मूल्य समायोजन समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, अंतर्देशीय भाड़ा और कमीशन के कारण किए गए हैं। आवेदक द्वारा दावा की गई निर्यात कीमत जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए प्रथम दृष्टया स्वीकार्य है।

चीन के निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन

15. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के अनुमानों पर विचार करते हुए, चीन जन.गण. से आयातों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। परिणामी पाटन मार्जिन काफी अधिक और न्यूनतम सीमा से अधिक है, इस बात के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य चीन जन.गण. से आयातों के मामले में निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है, जिससे पता चलता है कि चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पाटित कीमत पर निर्यातित की जा रही है। इस प्रकार, पाटन के जारी रहने की संभावना का संकेत मिलता है।

छ. क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना

चीन जन.गण.

16. आवेदक ने तीसरे देशों में पाटन, चीन के उत्पादकों के पास काफी अतिरिक्त क्षमताओं, मौजूदा अतिरिक्त क्षमताओं के बावजूद चीन के उत्पादकों द्वारा क्षमता विस्तार काफी अधिक निर्यातोन्मुख होना, शेष विश्व को चीन से निर्यातों में गिरावट, भारतीय उद्योग की संवेदनशीलता और भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता के आधारों पर चीन जन.गण. से आयातों के मामले में क्षति की संभावना का दावा किया है।

17. शुल्क की समाप्ति की स्थिति में चीन जन.गण. से आयातों के मामले में पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं, क्योंकि पाटन मार्जिन सकारात्मक है, सकारात्मक कीमत कटौती लाभ में गिरावट और आरओसी पर ऋणात्मक आय प्राप्त हुई है। इसके अलावा, संबद्ध देशों में अत्यधिक क्षमताएं हैं, जिनमें संभावित व्यापार बदलाव और भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता शामिल है। यह प्रथमदृष्टया नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

ज. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

18. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृति होने की संभावना को सिद्ध करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वंय को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लागू शुल्क को जारी रखने जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है, एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं ।

झ. जांच की अवधि (पीओआई)

19. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि अप्रैल 2021 – मार्च 2022 (12 महीने) की है और क्षति अवधि में 2018-19, 2019-20, 2020-21 और जांच की अवधि शामिल है।

ञ. प्रक्रिया

20. इस समीक्षा में अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/44/2016-डीजीएडी दिनांक 05 मार्च, 2018 के सभी पहलू शामिल होंगे, जिसके द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी।

21. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

22. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर, निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adgl5-dgtr@gov.in और adv11-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in, dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो ।

23. संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर उल्लिखित ई-मेल पतों पर नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने हेतु उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें ।

ठ. समय-सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों adgl5-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in, dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और इस अधिसूचना में यथानिर्धारित उपर्युक्त समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है ।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

29. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है ।

30. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

31. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

32. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

33. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य इच्छुक पक्ष दस्तावेज़ के गैर-गोपनीय संस्करण को प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं।

34. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

35. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ढ. सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण

36. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वैबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल रूप में उपलब्ध नहीं रहेगी ।

ण. असहयोग

37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2022

[Case No. AD (SSR)- 11/2022]

Subject: Initiation of sunset review investigation of the anti-dumping duty imposed on imports of 'Fishing Net' originating in or exported from China PR.

F. No. 7/22/2022-DGTR.—Indian Fishnet Manufacturer's Association (hereinafter also referred to as the "applicant" or the "applicant association" or "petitioner") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of the Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules" or the "Anti-Dumping Rules"), for sunset review of anti-dumping duty imposed on the imports of "Fishing Net", (hereinafter also referred to as the 'subject goods' or the 'product under consideration' or the "PUC") originating in or exported from Bangladesh and China PR.

2. The applicant has alleged that expiry of anti-dumping duty on the import of the subject goods originating in or exported from China PR and Bangladesh is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and

injury to the domestic industry and has requested for continuation of the anti-dumping duty levied on the import of the subject goods originating in or exported from these countries.

3. In terms of Section 9A (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have an effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. In respect of Bangladesh, the Authority has noted that on the basis of evidence on record, there is neither any export of the subject goods to India in 2018-19, 2019-20, 2020-21 and the POI nor the applicant has submitted any prima facie evidence of likelihood of Bangladesh resorting to dumping in the event duty is allowed to expire on the import of the subject goods from Bangladesh. Therefore, the subject country for this investigation, is China PR only.

A. **Background**

5. The original investigation concerning imports of the subject goods from Bangladesh and China PR was initiated by the Authority vide notification No. 14/44/2016-DGAD dated 31st March, 2017. The final findings notification was issued by the Authority vide notification No. 14/44/2016-DGAD dated 5th March, 2018, recommending therein the imposition of definitive anti-dumping duty. On the basis of the recommendations made by the Authority in the said final findings, definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide notification No. 20/2018-Customs (ADD) dated 10th April, 2018 on the imports of the subject goods, originating in or exported from Bangladesh and China PR. The existing anti-dumping duty is set to expire on 10th April, 2023.

B. **Product under Consideration**

6. The product under consideration (PUC) in the application is "fishing net". Since, the present application is for the initiation of a sunset review investigation, the product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigation. Further, the applicant has made no request with regard to any modification to the scope of the product under consideration. Therefore, as per the settled jurisprudence and the past practices of the Authority, the product under consideration remains the same as defined in the original notification.

"7. The Product under Consideration in the present investigation is "Fishnet" or "Fishing Net".

8. Fishing Nets are devices made from fibers woven in a grid-like structure. Fishing nets are usually meshes formed by knotting a relatively thin thread. Due to the technical characteristics of Nylon, Nylon fishnet constitutes more than 65-70% of the total fishnet consumption world over. Present petition includes Nylon Fishing nets only – whether 100% or blended. In case of blended, scope includes fishing nets containing 50% or more Nylon by weight.

9. The product does not have dedicated customs classification. The product is being imported under HS code, 560811 10 as per the data made available to us by DGC&IS. However, customs classification is indicative only and in no way it is binding upon the product scope.

10. The PUC can be further classified into monofilament yarn net and multifilament yarn net. Monofilament net is produced using monofilament yarn, in case of multifilament net, multifilament yarn is used and the yarn is first twisted. Thereafter, even though the production process is the same and involves netting with weft & warp knotting, heat stretching, dyeing, aging, normalizing, inspection and packing; the use of monofilament net and multifilament net is in totally different areas in fishing. Monofilament nets are largely used for inland/river/lake fishing and the catches are better due to its transparency as compared to multifilament net. The life of net is however maximum of 6 months and the net cannot be repaired once damaged. Multifilament nets, on the contrary, are used for coastal/deep sea fishing to catch large fish. Life of multifilament nets is in the region of 2 to 2.5 years and the nets can be repaired when damaged.

11. As regards HDPE Fishing Nets and Agriculture nets, it is noted that the present investigation is against dumping of Nylon Fishing nets – whether 100% or blended nets containing 50% or more Nylon by weight. All other kinds of Fishing nets or other nets are outside the scope of present investigation."

7. The product under consideration is classified under Chapter 56 of the Customs Tariff Act, 1975 under the subheading 56081110. The customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the subject investigation.

C. **Like Article**

8. The issue of like article has been examined by the Authority in the original investigation. There is no significant difference in the product produced by the domestic industry and exported from the subject country. The goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and are used by consumers interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'like article' to the PUC being imported from the subject country.

D. **Domestic Industry & Standing**

9. The application has been filed by Indian Fishnet Manufacturers Association (IFMA), the association of domestic producers on behalf of the members of the applicant association. The applicant has certified that its members have not imported the product under consideration from the subject country. Further, they are neither related to any producer/ exporter of the product under consideration in the subject country nor to the importers of the subject goods in India.

10. The applicant has submitted that it is an Association of Fishing Net manufacturers falling in the MSME sector having close to 110 manufacturers in India. The industry is highly fragmented and consists of a large number of domestic producers. Hence, the applicant association has filed the application on behalf of all its members complying with the Trade Notice 09/2021 dated 29th July, 2021, which states that in case the domestic industry is fragmented, the application may be filed by an association on behalf of the domestic industry provided that the total production of the members of the association is more than 50% of the total domestic production. The production by the members of the applicant association constitutes more than 50% share in the total domestic production of the like article in India as per Rule 5(3)(a) of the Customs Tariff Rules and the applicant association meets the pre-requisites prescribed under Annexure II of Trade Notice 09/2021. The applicant producers which have provided the relevant data for the current application constitute more than 25% of the total Indian production.

11. On the basis of information available, the Authority is satisfied that the application has been made 'by or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules and the Trade Notice 09/2021 dated 29th July 2021.

E. **Subject country**

12. The subject country for the present sunset review investigation is China PR.

F. **Normal value, export price and dumping margin for the subject country**

Normal value for China PR

13. The applicant has cited and relied upon Article l5(a)(i) of China's Accession Protocol. The applicant has claimed that producers in China must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 Annexure- I of the Rules. The applicant has identified Thailand as an appropriate third country to determine the normal value for China PR and has relied upon the price of exports from Thailand to India to determine the price in market economy third country after making due adjustments. Further, adjustments have been made for ocean freight, insurance, inland freight as applicable, to arrive at the ex-factory normal value.

Export Price for China PR

14. The applicant has computed the export price of the subject goods by considering the CIF price based on the market intelligence. The price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, inland freight and commission. Export price claimed by the applicant is prima facie acceptable for the purpose of initiation of the investigation.

Dumping margin for Chinese exporters

15. Dumping margin has been determined for imports from China PR considering the estimates of normal value and export price. The resultant dumping margin is significant and much above the de-minimus limit. There is prima facie evidence that the normal value of the subject goods in China PR is significantly higher than the net export price in the case of imports from China PR, indicating that the subject goods originating in or exported from China PR are being exported at dumped prices, thus indicating likelihood of continuation of dumping.

G. **Likelihood of continuation or recurrence of injury**

China PR

16. The applicant has claimed the likelihood of injury in the case of imports from China PR on the grounds of dumping in third countries, significant surplus capacities with the Chinese producers, capacity expansion by the Chinese producers despite existing surplus capacities, high degree of export orientation of the Chinese producers, vulnerability of the Indian industry and price attractiveness of the Indian market.

17. There is prima facie evidence of likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the case of imports from China PR in the event of cessation of duty, considering positive dumping margin, positive price undercutting, decline in profit and ROCE. Moreover, there is prima facie evidence of excess capacities in China PR, potential trade diversion and price attractiveness of the Indian market. It is prima facie noted that there is likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of the anti-dumping duty.

H. **Initiation of sunset review investigation**

18. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry about the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority, in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23(1B) of the Rules, hereby, initiates the sunset review investigation to review the need for the continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and to examine whether the expiry of existing anti-dumping duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

I. **Period of Investigation (POI)**

19. The period of investigation for the present investigation is April 2021 - March 2022 (12 months), and 2018-19, 2019-20, 2020-21 and the POI as the injury examination period.

J. **Procedure**

20. The review will cover all aspects of final finding notification No. 14/44/2016-DGAD dated 05th March, 2018 recommending the imposition of anti-dumping duty on import of subject goods originating in or exported from the subject country.

21. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rules shall be mutatis mutandis applicable in this review.

K. **Submission of information**

22. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email address adgl5-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd13dgtr@gov.in,dd15-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

23. The known exporters in the subject country, their Government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the PUC and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

24. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

25. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

26. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority https://www.dgtr.gov.in/ for any updated information with respect to this investigation.

L. **Time-Limit**

27. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adgl5-dgtr@gov.in, advl1-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in, dd15-dgtr@gov.in within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

28. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time-limit.

M. **Submission of Information on Confidential basis**

29. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non- confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

30. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

31. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

32. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and /or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

33. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.

34. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

35. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. **Inspection of Public File**

36. A list of interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global pandemic.

O. **Non-Cooperation**

37. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.10.03 23:02:22 +05'30'